bilitation (Shri Shah Nawaz (a) It will not be correct to say that Safety Rules are grossly violated. Violations do occur but there is greater safety consciousness now.

(b) Apart from inspection of mines, action under Section 22 of the Mines Act and prosecutions, more stress is being laid on Safety education and training. Safety weeks are now being organised in all mining areas. The National Council for Safety in Mines set up in 1963 is stepping up its activities. Mines Vocational Training Rules have been brought into force with from 1st August, 1966 in coal mining areas of West Bengal and Bihar. The progress in the matter of safety is also being reviewed from time to time at Mines Safety Conferences, the last of which was held at Calcutta on 9-10th July, 1966.

C.L.A. of U.S.A. in India 1801. Shri P. C. Borooah: Shri Sidheshwar Prasad: Shri Rishang Keishing:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

- (a) whether Government have probed into the modus operandi of Central Intelligence Agency of U.S.A. in India and in relation to this country; and
 - (b) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry Defence (Shri Hathi): (a) and (b). It will not be in the public interest to disclose the information.

श्चन्द्रमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खेती योग्य भिम का विकास

1802. श्री हकम चन्द कछवाय: श्री रामेश्वर नन्द : श्री रघनाथ सिहः

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यायह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमृह में खेती योग्य भूमि विक-

सित करने के लिए एक योजना तैयार की जारही है;

- (ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा हो जायेगा:
- (ग) उक्त योजना पर कितना व्यय होने की सस्भावना है ग्रौर इसके ग्रन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि में खेती होने लगेगी श्रीर उससे कितना श्रनाज पैदा होने की श्राशा है; ग्रौर
- (घ) यह भूमि किन व्यक्तियों को दी जायेगी?

श्रम, रोजगार तथा पुनव सि उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान): (क)से(ग). जी, हां। अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमृह के समे-कित विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक ग्रन्तर्विभागीय टीम स्थापित की गई थी। टीम की रिपोर्ट संसद की लाइब्रेरी में रख दी गई है।

टीम ने यह सुझाव दिया है कि ग्रागामी 10 से 15 वर्षों के बीच लगभग 1,25,000 एकड़ भूमि का सुधार किया जा सकता है। श्रागामी चार या पांच वर्षों के बीच 30.000 एकड़ भूमि के सुधार की प्रस्तावना है। मध्य ब्रन्दमान (बीटापुर) में उपलब्ध 3,000 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य पिछले वर्ष चालू कर दिया गया था ग्रौर चालू मौसम के अन्त तक लगभग 1,200 एकड़ भिम का सुधार कर दिया गया था । जैसे ग्रधिक से ग्रधिक भृमि को खेती योग्य बनाया जाता है, भूमि सर्वेक्षण के ग्राधार पर उसका सर्वोत्तम उपयोग किया जायेगा । ऐसे सर्वेक्षण संगठित किये जा रहे हैं। विशिष्ट द्वीप समृह से सम्बन्धित विशिष्ट भूमि को खेती योग्य बनाने की परियोजना के बारे में व्यौरा तैयार किया जा रहा है। वन के स्वरूप तथा जिस प्रयोजन के लिये भूमि को प्रयोग में लाया जायेगा उसके आधार पर एक द्वीप से दूसरे द्वीप में भूमि को खेती योग्य बनाने की लागत